राजस्थान—सरकार
ग्रामीण विकास एवम् पंचायती राज विभाग

क्रमांक: एफ.11(3) (गों)/बजट घोषणा/मरम्मत/ICDS/2016/121934-967 जयपुर, दिनांक: 16-9-16

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद
(समस्त)

विषय: माननीय मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 121 के अनुसार राजकीय भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों की मरम्मत के तकमीने भिजवाने के संबंध में।

सन्दर्भ: महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशालय के पत्रांक Spl-1 दिनांक 19.08.2016, 117424 456 दिनांक 06.06.2016 व शासन सचिव मबावि. राज0 के पत्रांक 119566 98 दिनांक 09.09.2016

माननीय मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 121 के अनुसार राजकीय भवनों में संचालित अधिकांश आंगनबाडी केन्द्रों के रख रखाव व सुदृढीकरण का कार्य आगामी तीन वर्षो में 75 करोड रूपये की लागत से करवाया जाना है।

उक्त बजट घोषणा के क्रम में विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2016 17 के लिए राशि रूपये 40.00 करोड के मरम्मत कार्य करवाये जाने है। वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना में प्रथमतः आपके जिले में संचालित बाल विकास परियोजनाओं के अधीन संचालित वे आंगनबाडी केन्द्र, जिनके भवन टूटी फूटी अवस्था में है, जिनकी छत टपकती है एवं जिनमें वृहद् मरम्मत कार्य करवाया जाना है, उनके परियोजनावार प्रस्ताव जिला स्तर पर संकलित करवाकर प्रस्तुत करवाये जाने अपेक्षित है। ताकि तद्नुसार वित्त विभाग को वांछित प्रस्ताव भिजवाये जा सकें एवम् माननीय मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा की क्रियान्विति सुनिश्चित हो सकें।

उक्त मरम्मत कार्य के लिए कार्यकारी एजेन्सी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद है। बाल विकास परियोजना अधिकारी, अपने परियोजना परिक्षेत्र के ऐसे आंगनबाडी केन्द्रों को चिन्हित कर उनके मरम्मत के तकमीने पंचायत समिति के सक्षम तकनीकी अधिकारी से तैयार करवाकर जिला कार्यालय को प्रेषित करेंगे, जिनको जिला स्तर पर परियोजनावार संकलित कर, उप निदेशक म.बा.वि विभाग के माध्यम से निदेशालय को अग्रेषित किया जाएगा।

जैसा कि सन्दर्भित पत्रों के माध्यम से आपको पूर्व में भी निर्देशित किया जा चुका है आपके अधीनस्थ तकनीकी अधिकारियों (सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता) द्वारा अपने क्षेत्र में आने वाले **राजकीय भवनों में संचालित मरम्मत योग्य आंगनबाड़ी केन्द्रे भवनों के मरम्मत कार्यो के तकमीने** बनाये जाने अपेक्षित है। जिससे सम्बंधित बाल परियोजना अधिकारी द्वारा परियोजना स्तर पर एवम् उप निदेशक म.बा.वि विभाग द्वारा जिले स्तर पर तकमीनों को संकलित कर इकजाई सूचना निदेशालय आई.सी.डी.एस. जयपुर को प्रस्तुत की जायेगी। तद्नुसार वित विभाग से उक्त बजट घोषणा के क्रियान्वयन के लिये प्रस्ताव अनुमोदन कराया जाना सम्भव होगा।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अविलम्ब उक्त प्रकरण में व्यक्तिशः रूचि लेकर अधीनस्थ सम्बन्धित अधिकारियों को समयबद्ध मरम्मत कार्यों के तकमीने उप निदेशक म.बा.वि. विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु पाबन्द करावें।

पत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करावें।

16.9.2016
(सुदर्शन सेठी)
प्रमुख शासन सचिव
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ.11(3) (गों)/बजट घोषणा/मरम्मत/ICDS/2016/121968-122339 जयपुर, दिनांक: 16-9-16

प्रतिलिपि निम्नलिखि को सूचनार्थ एवं **पालनार्थ** प्रेषित है।

1. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग समस्त।
2. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त।
3. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएं समस्त।
4. ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. आदेश पत्रावली।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर